

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2025—फाल्गुन 2, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

प्ररूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र.-06—भोविप्रा-25.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 के 60.00 मीटर चौड़े मार्ग निर्माण के लिये प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 216-BHO-2023, यथा ग्राम बावड़ियाकलां (क्षेत्र का वर्णन जिसमें स्कीम प्रस्तावित की गई है) में तैयार की गई है. शासन से प्राप्त अनुमति के अनुसार अधिनियम की धारा 50(2) में प्रकाशित स्कीम की अंतिम सीमा के खसरो में से निम्न खसरे जो स्कीम क्षेत्र में सम्मिलित होकर अथवा अन्य कारणों से, जैसा कि दर्शाया गया है, प्रकाशन से शामिल नहीं हैं, स्कीम में सम्मिलित माने जावेंगे.

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्राम बावड़ियाकलां, तहसील, कोलार जिला भोपाल				
1.	अर्जुन सिंह आ. बच्चूलाल	138/2/1	0.1010	राजस्व मानचित्र में बटांकन नहीं परंतु स्कीम की सीमा के अन्दर स्थित
2.	त्रिलोक ठाकुर पुत्री अमर सिंह दांगी	182/6/1/1	0.1460	
		182/6/3/1		
3.	विशाल ठाकुर पुत्री अमर सिंह दांगी	182/6/1/2	0.1460	
		182/6/3/2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	कु. विनिता ठाकुर पुत्री अमर सिंह ठाकुर	182/6/1/3 182/6/3/g	0.0772	राजस्व मानचित्र में वटांकन नहीं परंतु स्कीम की सीमा के अन्दर स्थित
5.	कमलकिशोर पाटीदार, सुरेन्द्र पाटीदार पुत्रगण स्व. श्री सालिगराम पाटीदार	Part	0.1618	स्कीम की बाह्य सीमा पर समन्वयित मार्ग की निरंतरता के लिये आवश्यक
6.	राजराम पाटीदार पुत्र स्व. श्री पन्नालाल	108/2/1/1	0.1416	
7.	सर्वोत्तम गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल	109	0.0770	

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त भी कुछ खसरा नम्बर के बटान, जो स्कीम क्षेत्र में सम्मिलित होकर प्रकाशन में रह गये हैं, स्कीम में सम्मिलित माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है.

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

2. जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल तथा, प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर भी प्रकाशित.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, पर विचार किया जाएगा.

(G-643)

प्रदीप जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

प्ररूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र.-07-भोविप्रा-25.-एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 के 45.00 मीटर चौड़े मार्ग निर्माण के लिये प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 215-BHO-2023, यथा ग्राम हिनोतिया आलम (क्षेत्र का वर्णन जिसमें स्कीम प्रस्तावित की गई है) में तैयार की गई है. शासन से प्राप्त अनुमति के अनुसार अधिनियम की धारा 50(2) में प्रकाशित स्कीम की अंतिम सीमा के खसराओं में से निम्न खसरे जो स्कीम क्षेत्र में सम्मिलित होकर अथवा अन्य कारणों से, जैसा कि दर्शाया गया है, प्रकाशन से छूट गये हैं, स्कीम में सम्मिलित माने जावेंगे:-

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्राम हिनोतिया आलम				
1.	श्री साईं ग्रामोत्थान समिति, मानसरोवर परिसर.	85/2	0.100	अंतिम सीमा के अंदर सम्मिलित
2.	श्री साईं ग्रामोत्थान समिति, मानसरोवर परिसर.	85/3	0.350	

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त भी कुछ खसरा नम्बर के बटान, जो स्कीम क्षेत्र में सम्मिलित होकर प्रकाशन में रह गये हैं, स्कीम में सम्मिलित माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है.

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

2. जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल तथा, प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर भी प्रकाशित.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, पर विचार किया जाएगा.

(G-644)

प्रदीप जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवशंकर दुबे, पिता श्री मांगीलाल दुबे, निवासी-म.नं. 42 ग्राम व पोस्ट चांदबढ़ जागीर, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पायल दुबे पुत्री शिवशंकर दुबे दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम मधु दुबे पुत्री शिवशंकर दुबे है जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम मधु दुबे पुत्री शिवशंकर दुबे के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-645)

(शिवशंकर दुबे).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवशंकर दुबे पिता श्री मांगीलाल दुबे, निवासी-म.नं. 42 ग्राम व पोस्ट चांदबढ़ जागीर, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम ऋषि दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम केशव दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे है जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम केशव दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-646)

(शिवशंकर दुबे).

नाम परिवर्तन

मैं, शिवम विश्वकर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा, निवासी-म.नं. 18 फेस 2, शिव नगर कालोनी, भानपुरी, विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम भूषन देवी विश्वकर्मा दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम भाव्या विश्वकर्मा (Bhavya Vishwakarma) पुत्री शिवम विश्वकर्मा (Shibam Vishwakarma) है जो सही है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम भाव्या विश्वकर्मा Bhavya Vishwakarma पुत्री शिवम विश्वकर्मा Shibam Vishwakarma के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-647)

(शिवम विश्वकर्मा)
(Shibam Vishwakarma)

CHANGE OF NAME

I, Tanveer Ahmed Khana S/o Shameem Ahmed Khan declare that. My minor daughter ANA TANVEER'S School record 10th class CBSE record. Her farther's name wrongly entered as TANVEER AHMED. While according to other documents. My correct name is TANVEER AHMED KHAN Now shall after my daughter known as ANA TANVEER D/o TANVEER AHMED KHAN.

Applicant

(TANVEER AHMED KHAN)

Add.- H.No. 401, Housing Board Colony,
Nariyal Kheda, Bhopal (M.P.).

(G-648)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप कुमार पुत्र श्री सुजान सिंह, निवासी-सी.एल. 256 सेक्टर-सी, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम वीर सिंह (Veer Singh) अंकित है जो की गलत है जबकि उसका सही नाम सचित भदोरिया (Sachit Bhadoriya) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम सचित भदोरिया (Sachit Bhadoriya) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संदीप कुमार).

(G-649)

नाम परिवर्तन

मैं, लाल सिंह लोधी आत्मज सुखराम लोधी, निवासी-कैकड़ा रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम करण सिंह लोधी दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम रोहित कुमार लोधी (Rohit Kumar Lodhi) पुत्र लाल सिंह (Lal Singh) है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम रोहित कुमार लोधी (Rohit Kumar Lodhi) पुत्र लाल सिंह (Lal Singh) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लाल सिंह).

(G-650)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, सीताराम घृतलहरे आ. श्री कन्हाई घृतलहरे, निवासी-897, मीरा नगर, उर्मिला शर्मा स्मृति विद्यालय पीसी नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). होकर घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री लक्ष्य घृतलहरे (LAXYA GHRETLAHARE) के आधार कार्ड में त्रुटिवश लक्ष्मीन घृतलहरे (LAXMIN GHRITLAHE) अंकित हो गया है जो गलत है. अतः मेरी पुत्री को उसके सही नाम लक्ष्य घृतलहरे (LAXYA GHRETLAHARE) आ. सीताराम घृतलहरे से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी

(सीताराम घृतलहरे).

(G-651)

नाम परिवर्तन

मैं, विष्णु कुशवाहा पुत्र श्री प्रेमचंद कुशवाहा, निवासी-चंदन नगर, आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नैना कुशवाहा दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों पर नेहा कुशवाहा (NEHA KUSHAWAHA) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम नेहा कुशवाहा (NEHA KUSHAWAHA) पुत्री श्री विष्णु कुशवाहा से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(विष्णु कुशवाहा).

(G-652)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पप्पू कुमार (PAPPU KUMAR) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम रवि मंडल (RAVI MANDAL) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सही नाम रवि मंडल (RAVI MANDAL) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

प्रार्थी

(अजय मंडल)

पता- मं नं.-79, गुप्ता कॉलोनी,
आनन्द नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-653)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ सिंह पुत्र डॉ. ओम प्रकाश, निवासी-बी 251, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री तन्वी है. मैंने अपनी बेटी का नाम तन्वी से बदलकर तनिष्का सिंह रख लिया है जो मेरी बेटी के समस्त दस्तावेजों में अंकित है. भविष्य में मेरी पुत्री को नवीन नाम तनिष्का सिंह पुत्री श्री सौरभ सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(सौरभ सिंह).

(G-654)

नाम परिवर्तन

मैं, भारत सिंह आत्मज श्री राजाराम सिंह, निवासी-111/09 सी.आर.डब्ल्यू.एस. आर बी-1 कोच फैक्ट्री कालोनी, भोपाल (म.प्र.). सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम PRAYANSH SINGH गलत दर्ज हो गया है. उसका सही नाम PRIYANSH SINGH है. इसी नाम को दर्ज किया जाए व भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

प्रार्थी

(भारत सिंह).

(G-655)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आराध्या परिहार (Aradhya Parihar) है और यही नाम मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है एवं मेरे पुत्री का घर का बचपन का पुकारे जाने वाला नाम ऐश्वर्या परिहार है जो कि उसके आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र पर उसके वास्तविक नाम के साथ में दर्ज व अंकित हो गया है. आराध्या परिहार (Aradhya Parihar) एवं ऐश्वर्या परिहार दोनों ही नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः मेरी पुत्री को वर्तमान एवं भविष्य में उसके वास्तविक नाम आराध्या परिहार (Aradhya Parihar) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(विजय सिंह परिहार)

पता-269/6, किला रोड, गोविन्द कॉलोनी,
जिला इन्दौर (म.प्र).

(G-656)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अतीब आदियान कुरैशी, निवासी-फ्लेट नं. 301, तृतीय तल, अलनूर अपार्टमेंट, गली न. 2, अमीरगंज, शाहजहाँनाबाद, भोपाल (म.प्र) के दस्तावेजों में उनका नाम अतीब आदियान कुरैशी चल रहा है जबकि उनका सही नाम मोहम्मद अदयान कुरैशी है इसलिये अतीब आदियान कुरैशी के दस्तावेजों में अब से उनका नाम मोहम्मद अदयान कुरैशी MOHAMMAD ADYAN QURESHI लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(उबेद अख्तर कुरैशी).

(G-657)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दौलत ठाकुर, पुत्र श्री हरनाथ सिंह, निवासी-ब्रिजिश नगर, इछावर, जिला सीहोर (म.प्र) का निवासी हूँ. मेरे पुत्र का वास्तविक नाम धीरज ठाकुर (DHEERAJ THAKUR) है, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका सोमिल ठाकुर (SOMIL THAKUR) हो गया था, अब मेरे पुत्र को अपने वास्तविक नाम धीरज ठाकुर (DHEERAJ THAKUR) से जाना जायेगा एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

प्रार्थी

(दौलत ठाकुर).

(G-658)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शुभम कुमार बिलावलिया मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम अयांश (AYANSH) त्रुटिवश अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके नये नाम कुंज बिलावलिया (KUNJ BILAWALIA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(शुभम कुमार बिलावलिया)

पता-151, फतनपुर,

जिला देवास (म.प्र).

(G-659)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सजन पिता सरदार, निवासी-840 मक्सी रोड शंकरपुर, उज्जैन (म.प्र.). यह कि मेरा पूर्व नाम रंजन नट पिता सरदार था जो अब बदलकर सजन पिता सरदार हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सजन पिता सरदार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रंजन नट)

नया नाम
(सजन)
(Sajan)

(G-660)

पिता- सरदार.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शुभम कुमार बिलावलिया मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम श्रेयांश (SHREYANSH) त्रुटिवश अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके नये नाम कुशल बिलावलिया (KUSHAL BILAWALIA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(शुभम कुमार बिलावलिया)

पता-151, फतनपुर,

जिला देवास (म.प्र.).

(G-661)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शादी के पूर्व मेरा नाम निशा शर्मा था जो कि मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमती दिनेश शर्मा पत्नी पुनीत शर्मा हो गया है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. निशा शर्मा और श्रीमती दिनेश शर्मा एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे निशा शर्मा के स्थान पर श्रीमती दिनेश शर्मा के नाम से व मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(निशा शर्मा)

नया नाम
(दिनेश शर्मा)

पत्नी- पुनीत शर्मा

पता- म.नं. 1/208, न्यू कॉलोनी न.1

बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-662)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप कुमार पुत्र श्री सुजान सिंह, निवासी-सी.एल. 256, सेक्टर-सी, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आर्यन दीप (Aryan Deep) अंकित है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम रचित भदोरिया (Rachit Bhadoriya) है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम रचित भदोरिया (Rachit Bhadoriya) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संदीप कुमार).

(G-663)

Change of Name

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name TOSHIK PANDEY S/o YOGENDRA PANDEY has been changed to ADITYA PANDEY S/o YOGENDRA PANDEY Therefore, in future my son will be known by the her new name only.

Applicant

(YOGENDRA PANDEY)

Add.- J.C.O.9, M.O.G. line,

Sudama Nagar, Indore Madhya Pradesh.

(G-664)

Change of Name

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name Arthav Rathore S/o Yogesh Rathore (Natural Father), has been changed to Ashutosh Rohra S/o Yogesh Rathore (Natural Father), Nishit Rohra (Guardian/Patron Father), Therefore, in future my son will be known by the his new name only.

Applicant

(ASHUTOSH ROHRA)

S/o Yogesh Rathore (Natural Father)

Nishit Rohra (Guardian/Patron Father)

Add.- Flat No. 102 Krishna Planet Multi

Plot No. 182, Shri Krishna Evenew Fes-2,

Limbodi Gram Khandwa Road, Limbodi,

Indore Madhya Pradesh.

(G-665)

Change of Name

It is to bring kind Notice to the people that my Daughter previous name Ku. DHRITI BASRIMALANI D/o NITESH KUMAR BASRIMALANI has been changed to KU. DHRITI BASRIMALANI D/o NITESH BASRIMALANI Therefore, in future my Daughter will be known by the her new name only.

Applicant

(NITESH BASRIMALANI)

Add.- 50 Ashok Nagar, BK Main Road,

Bhanwar Kuaan Main Road,

Indore Madhya Pradesh.

(G-666)

Change of Name

I, MANJU PADLIYA W/o SHRI ASHOK KUMAR PADLIYA here by Declare That I have changed My name as MANJU JAIN W/o SHRI ASHOK KUMAR PADLIYA so, from now and in future I will be known by my new name MANJU JAIN W/o SHRI ASHOK KUMAR PADLIYA.

Old Name

(MANJU JAIN)

New Name

(MANJU JAIN)

W/o Shri Ashok Kumar Padliya

Add.- 570, Kasturba Nagar,

Road no. 8, Ratlam,

Distt. Ratlam (M.P.).

(G-667)

Change of Name

It is to bring kind Notice to the people that my Daughter previous name Ku. GEETANSHI MALGAYA D/o SHUBHAM MALGAYA has been changed to Ku. PRISHA MALGAYA D/o SHUBHAM MALGAYA Therefore, in future my Daughter will be known by the her new name only.

Applicant

(SHUBHAM MALGAYA)

Add.- 218, Sector A, Limbodi,

Shivdham Colony, Limbodi,

Indore (M.P.).

(G-668)

Change of Name

I, Sohan S/o Baliram hereby Declare That I have changed my name as Sohan Chouhan S/o Baliram Chouhan so, from now and in future I will be known by my new name Sohan Chouhan S/o Baliram Chouhan.

Old Name

(SOHAN)

S/o Baliram

New Name

(SOHAN CHOUHAN)

S/o Baliram Chouhan

Add.- Near Kapas mandi,

C-6 Maheshwar Road,

Barwaha, West Nimar Madhya Pradesh.

(G-669)

Change of Name

I, Vijay Sanghvi S/o Babulal Sanghvi hereby Declare That I have changed my name as Vijay Kumar Sanghvi S/o Babulal Sanghvi so, from now and in future I will be known by my new name Vijay Kumar Sanghvi S/o Babulal Sanghvi.

Old Name

(VIJAY SANGHVI)

New Name

(VIJAY KUMAR SANGHVI)

S/o Babulal Sanghvi

Add.- 6/10, Mahesh Nagar,

Indore, Madhya Pradesh.

(G-670)

Change of Name

It is to bring kind Notice to the people that my son previous name Sayyed Aariz Ali S/o Sayyed Tohid Ali has been changed to Sayyed Zaid Ali S/o Sayyed Tohid Ali Therefore, in future my son will be known by the his new name only.

Applicant

(SAYYED TOHID ALI)

Add.- 78/2, Baba Farid Nagar,

Colony No. 2, Kanadiya, Khajrana

Indore (M.P.).

(G-671)

Public Notice

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Madina Krishi Company Registered office at Tapal Ghati Gram Morod Khandwa Road Indore (M.P.) and Registration No. is 03-27-01-0126-18, dated 31-7-2018, which was constituted vide Partnership deed executed on 9-9-2010. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 25-7-2018, All the partners (Shabbir Ali and Abdul Rahim) hereto desire that the term and conditions on which the business of this Partnership shall be carried on from today and is to be continued in future we reduced into writing, the same are mentioned here. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 05-08-2018. Abdul Rahim S/o. Abdul Gaffar has voluntarily retired from the Partnership firm and Shaukat Ali S/o. Sabir Ali has joined the firm as a new partner. Now Shabbir Ali and Shaukat Ali are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. Madina Krishi Company

(SHABBIR ALI)

Partner.

(G-672)

Change of Name

I, Hereby declare that, my correct name is Bharat Kumar Jain, which has written in my all of documents also. But in my son's (Avi Jain and Arav Jain) school's documents and some of other documents like birth certificate etc. my name has written Bharat Jain, in which my middle name is missing or not written. Henceforth in my son's all documents my right name will be written and read Bharat Kumar Jain for all purposes.

Applicant

(BHARAT KUMAR JAIN)

Add.- 10 Gumasta Nagar,
Pramila Hospital, Sethi Gate
Ke Samne, Indore (M.P.).

(G-673)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम महेश पटेल पिता शालगराम है, जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों (जैसे मार्कशीट, पेन कार्ड व बैंक इत्यादि) में हमारा नाम व उपनाम महेश चौधरी पिता सालकराम चौधरी लिखा हुआ है. अतः मेरे जिस भी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा नाम व उपनाम महेश चौधरी पिता सालकराम चौधरी लिखा हुआ हो उन सभी दस्तावेजों में हमारा एक ही नाम व उपनाम महेश पटेल पिता शालगराम ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(महेश चौधरी)

पिता-सालकराम चौधरी

नया नाम

(महेश पटेल)

पिता-श्री शालगराम
पता-ग्राम गरीपिल्या, तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-674)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम विधा पटेल पति महेश पटेल है, जो कि मेरे अब के ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ पुराने दस्तावेजों (जैसे बैंक इत्यादि) में हमारा नाम व उपनाम विन्ध्या चौधरी पति महेश चौधरी लिखा हुआ है जो कि मेरे कुछ पुराने दस्तावेजों में ही लिखा हुआ है, अतः मेरे जिस भी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा नाम व उपनाम विन्ध्या चौधरी पति महेश चौधरी लिखा हो उन सभी दस्तावेजों में हमारा एक ही नाम व उपनाम विधा पटेल पति महेश ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(विन्ध्या चौधरी)
पति-महेश चौधरी

नया नाम
(विधा पटेल)
पति- श्री महेश पटेल
पता-ग्राम मरीपिपल्या, तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-675)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र का सही नाम जिगर पटेल (JIGAR PATEL) (जन्म प्रमाण-पत्र व स्कूल में) है किन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कृष्णा पटेल (KRISHNA PATEL) लिखा गया है, अतः उसके आधार कार्ड सहित उसके सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसे उसके सही नाम जिगर पटेल (JIGAR PATEL) से ही लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी
(सुनील पटेल)
पिता- कैलाश पटेल
निवासी-मकान नं. 30/1, यादव नंद नगर
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-676)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं रमेश सिरोनिया पिता रोडीलाल सिरोनिया निवासी ग्राम बालाहेडा,पोस्ट झाड़मऊ, तहसील व थाना जीरापुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शैक्षणिक, पॉलिसियों, बैंक खाता, आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम रमेशचंद्र वर्मा पिता रोडीलाल वर्मा अंकित है जिसे मैं, परिवर्तन कर रमेश सिरोनिया पिता रोडीलाल सिरोनिया कर रहा हूँ, अब से मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश सिरोनिया पिता रोडीलाल सिरोनिया पढ़ा-लिखा, एवं समझा जावे तथा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रमेश चन्द्र वर्मा)
(RAMESH CHANDRA VERMA)

नया नाम
(रमेश सिरोनिया)
(RAMESH SIRONIYA)
पिता- रोडीलाल सिरोनिया.

(G-677)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज कुमार बौद्ध पिता श्री गणेश राम, व्यवसाय शासकीय सेवा मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व प्रथम नियुक्ति आदेश में अहिरवार है एवं कुछ शासकीय दस्तावेजों में बौद्ध इंद्राज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत राज कुमार बौद्ध (Raj Kumar Bouddh) के नाम से जाना-पहचाना पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राज कुमार अहिरवार)
(Raj Kumar Ahirwar)

नया नाम
(राज कुमार बौद्ध)
(Raj Kumar Bouddh).

(G-678)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में घरेलू नाम कडवा हिरवे (KADWA HIRAVE) अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे सुधार कर मैंने अपना नाम टंटू हिरवे (TANTU HIRVE) कर लिया है. अतः लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में मेरा नाम टंटू हिरवे (TANTU HIRVE) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कडवा हिरवे)

नया नाम
(टंटू हिरवे)

पता- ग्राम मलगांव, तहसील बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-679)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विभिन्न शेयर सर्टिफिकेट में शशि शर्मा (SHASHI SHARMA) अंकित है जो गलत है. मैंने अपना उपनाम सुधार कर पुजारी (PUJARI) कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे समस्त शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम शशि पुजारी (SHASHI PUJARI) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शशि शर्मा)

नया नाम
(शशि पुजारी)

पता- 16/09, केमिकल स्टॉफ कॉलोनी,
बिरला ग्राम-नागदा (म.प्र.).

(G-680)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चेतना मठे (Chetna Mathe) पत्नी श्री चेतन मठे (Chetan Mathe), निवासी-19, बलाई मोहल्ला, वी.टी.सी. पोस्ट व जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बुशारा (Bushara) पत्नी श्री चेतन मठे (Chetan Mathe) अंकित है जो गलत है. मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम चेतना मठे (Chetna Mathe) पत्नी श्री चेतन मठे (Chetan Mathe) है, प्रकाशन उपरांत मुझको श्रीमती चेतना मठे (Chetna Mathe) पत्नी श्री चेतन मठे (Chetan Mathe) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बुशारा)
(Bushara)

नया नाम
(चेतना मठे)
(Chetna Mathe)
पत्नी- श्री चेतन मठे
(Chetan Mathe).

(G-681)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशुतोष पटेरिया (Ashutosh Pateriya) आत्मज श्री एस.पी. पटेरिया (S.P. Pateriya) मेरा अव्यस्क पुत्र दिव्यांश पटेरिया (Divyansh Pateriya) है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम देवांश पटेरिया (Devansh Pateriya) पुत्र श्री आशुतोष पटेरिया (Ashutosh Pateriya) अंकित है जो गलत है, मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम दिव्यांश पटेरिया (Divyansh Pateriya) पुत्र आशुतोष पटेरिया (Ashutosh Pateriya) है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को दिव्यांश पटेरिया (Divyansh Pateriya) पुत्र आशुतोष पटेरिया (Ashutosh Pateriya) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(आशुतोष पटेरिया)

(Ashutosh Pateriya)

पता- एम.आई.जी./20, हर्ष वर्धन नगर,
माता मंदिर के पास, भोपाल (म.प्र.).

(G-682)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधिका सराठे (Radhika Sarathe) पत्नी श्री कन्हैया सराठे (Kanhaiya Sarathe) निवासी-233, जी.एच. म.नं. 151 से 294 तक ग्राम मेहरागांव, इटारसी, नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संजूबाई सराठे (Sanjubai Sarathe) पत्नी श्री कन्हैया सराठे (Kanhaiya Sarathe) अंकित है किंतु मेरे अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम राधिका सराठे (Radhika Sarathe) पत्नी श्री कन्हैया सराठे (Kanhaiya Sarathe) है. प्रकाशन उपरांत मुझे राधिका सराठे (Radhika Sarathe) पत्नी श्री कन्हैया सराठे (Kanhaiya Sarathe) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(संजूबाई सराठे)

(Sanjubai Sarathe)

नया नाम

(राधिका सराठे)

(Radhika Sarathe)

पत्नी-श्री कन्हैया सराठे

(Kanhaiya Sarathe).

(G-683)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कल्लू अहिरवार (Kallu Ahirwar) आत्मज श्री हर लाल अहिरवार (Har Lal Ahirwar) निवासी-89, रामसागर, बिना कजिया, कजिया सागर (म.प्र.). मेरे कुछ अभिलेख में मेरा नाम काशीराम कुशवाह (Kashiram Kushwah) अंकित है किंतु मेरे आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कल्लू अहिरवार (Kallu Ahirwar) अंकित है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अब मैं, अपने आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार अपना नाम कल्लू अहिरवार (Kallu Ahirwar) आत्मज श्री हर लाल अहिरवार (Har Lal Ahirwar) करना चाहता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे कल्लू अहिरवार (Kallu Ahirwar) आत्मज श्री हर लाल अहिरवार (Har Lal Ahirwar) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(काशीराम कुशवाह)

(Kashiram Kushwah)

नया नाम

(कल्लू अहिरवार)

(Kallu Ahirwar)

आत्मज-श्री हर लाल अहिरवार

(Har Lal Ahirwar).

(G-684)

Change of Name

I, was known as Naziya Tabassum after Marriage I have changed my name and henceforth I shall be known as Naziya Tabassum Khan W/o Tabrez Nadeem Khan Resident of 132, Ram Nagar, Adhartal, Near Senjeevan Hospital, Jabalpur (M.P.) 482001.

Old Name
(NAZIYA TABASSUM)

New Name
(NAZIYA TABASSUM KHAN)

(G-685)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन बाई पति दिनेश वार्ड क्रमांक 1, ग्राम सेतखेड़ी, तहसील व जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश. मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेज में मेरा सही नाम मोहन बाई (Mohan Bai) है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम रेखा बाई (Rekha Bai) है जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मोहन बाई (Mohan Bai) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रेखा बाई)
(Rekha Bai)

नया नाम
(मोहन बाई)
(Mohan Bai).

(G-686)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कुमार दीप सिंह पिता भगवंत सिंह हो गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम कुवर दीप सिंह है जो सही है. प्रकाशन उपरांत मुझे अब कुवर दीप सिंह पिता श्री भगवंत सिंह के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कुमार दीप सिंह)

नया नाम
(कुवर दीप सिंह)
पिता- भगवंत सिंह
पता- करही पवाई, पोस्ट बगहा,
तहसील रघुराजनगर,
जिला सतना (म.प्र.).

(G-687)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम नेहा मांगुल्ले पति राजेन्द्र कुमार मांगुल्ले था. माननीय न्यायालय से विवाह विघटित होने उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नेहा पति शुभम (NEHA W/o SHUBHAM) हो गया है. अतः भविष्य में नेहा पति शुभम (NEHA W/o SHUBHAM) इसी नाम से जाना-पहचाना एवं समझा जावे.

पुराना नाम
(नेहा मांगुल्ले)

नया नाम
(नेहा पति शुभम)
(NEHA W/o SHUBHAM).

(G-688)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम पप्पू पति आकाश चौहान था. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम बदलकर मिनाश्री राठौर पति प्रताप सिंह राठौर (MINAKSHI RATHORE W/o PRATAP SINGH RATHORE) कर लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं समझा जावे.

पुराना नाम

(पप्पू)

पति- स्व. आकाश चौहान

(G-689)

नया नाम

(मिनाश्री राठौर)

पति- प्रताप सिंह राठौर

पता-448 बी, कालानी नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मैं, विद्योतमा शर्मा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विद्योतमा मेथिल (VIDYOTMA MAITHIL) गलत अंकित हो गया है. मेरा सही नाम विद्योतमा शर्मा (VIDYOTMA SHARMA) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम विद्योतमा शर्मा (VIDYOTMA SHARMA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विद्योतमा मेथिल)

(VIDYOTMA MAITHIL)

(G-690)

नया नाम

(विद्योतमा शर्मा)

(VIDYOTMA SHARMA)

पत्नी- श्री ऋषिकेश.

पता- वॉर्ड नं. 04, बामोरा,

सागर, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मैं, अक्षय कुमार बिल्लोरे मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम कुंजबल्लभ बिल्लोरे (KUNJVALLABH BILLORE) गलत अंकित हो गया है. मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम अनंत बिल्लोरे (ANANT BILLORE) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सही नाम अनंत बिल्लोरे (ANANT BILLORE) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

भवदीय

(अक्षय कुमार बिल्लोरे)

आत्मज- श्री नर्मदाशंकर बिल्लोरे

निवासी- हरसगांव, हर्सगांव,

खरगोन (म.प्र.).

(G-691)

नाम परिवर्तन

हम शाह हुसैन (SHAH HUSSAIN) एवं सकीना हुसैन (SAKEENA HUSSAIN), सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हमारी पुत्री का नाम मारिया हुसैन (MARIYA HUSSAIN) है जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है. किंतु आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में उसका नाम महरिन हुसैन (MEHREEN HUSSAIN) अंकित हो गया है जो कि गलत है. प्रकाशन के उपरांत हमारी पुत्री को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मारिया हुसैन (MARIYA HUSSAIN) के नाम से जाना-पहचाना लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जावे.

आवेदक

(शाह हुसैन)

पता- 06, ओल्ड क्लेक्टरेट के पीछे,

मलका कॉपाउंड कोहएफिजा, हुजूर,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-692)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाष चंद गुप्ता (Subhash Chand Gupta) पुत्र नत्थी लाल गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुभाष चंद गुप्ता (Subhash Chand Gupta) पुत्र नत्थी लाल गुप्ता है जो की सही है परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम सुभाष गुप्ता (Subhash Gupta) अंकित हो गया है जो की गलत है. प्रकाशन के बाद मुझे सुभाष चंद गुप्ता (Subhash Chand Gupta) पुत्र नत्थी लाल गुप्ता के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम
(सुभाष गुप्ता)
(Subhash Gupta)

नया नाम
(सुभाष चंद गुप्ता)
(Subhash Chand Gupta)
पुत्र-नत्थी लाल गुप्ता
पता- झंडा चोक, सदर बाजार,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-693)

नाम परिवर्तन

मैं, सुधीर तिवारी (SUDHIR TIWARI) एवं हर्षिता तिवारी (HARSHITA TIWARI) सर्वसाधारण को सूचित करते है कि हमारी पुत्री का नाम उर्वी तिवारी (Urvi Tiwari) है जो आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. हम उसका नाम परिवर्तित कर मिष्का तिवारी (Mishka Tiwari) करना चाहते हैं. प्रकाशन उपरांत हमारी पुत्री के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मिष्का तिवारी (Mishka Tiwari) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जावे.

प्रार्थी
(MISHKA TIWARI)

पुत्री -सुधीर तिवारी
पता- C/o सुधीर तिवारी 166 के
स्कीम नं. 71, सेक्टर-ए, गुमास्ता नगर
के पास, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-694)

नाम परिवर्तन

मैं सुनील चौहान आत्मज गणपत लाल चौहान सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में सुनील चौहान अंकित है. और कुछ दस्तावेजों में सुनील चौहान लिखा गया है जो गलत है. प्रकाशन के बाद मेरे सभी दस्तावेजों में सुनील चौहान के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम
(सुनील चौहान)
(Sunil Chouhan)

नया नाम
(सुनील चौहान)
(Sunil Chouhan)
पता- हाउस न. 247, मल्हार रोड,
वार्ड नं. 42 टोडी, देवास (म.प्र.).

(G-695)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश विवान श्रीवास्तव (VIVAAN SHRIVASTAVA) अंकित हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम विवान वर्मा (VIVAAN VERMA) है. जो उसके जन्म-प्रमाण पत्र में अंकित है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को विवान वर्मा (VIVAAN VERMA) के नाम से जाना व पहचाना पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(सनिल वर्मा)

पता- वार्ड नम्बर 25, कोपरिहा
पेट्रोल पम्प के पीछे, शहडोल (म.प्र.).

(G-696)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, राजस्व एवं शासकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों में मेरा नाम सैन सिंह (SAIN SINGH) दर्ज है, उपनाम जोड़ने के उपरांत मैं, अब सैन सिंह रावत (SAIN SINGH RAWAT) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में नाम सैन सिंह (SAIN SINGH) के स्थान पर सैन सिंह रावत (SAIN SINGH RAWAT) पढ़ा, समझा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सैन सिंह)
(SAIN SINGH)

नया नाम
(सैन सिंह रावत)
(SAIN SINGH RAWAT).

(G-697)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम अंशु शर्मा (Anshu Sharma) था, जिसे अब परिवर्तित कर वैभवी शर्मा (Vaibhavi Sharma) कर लिया गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अंशु शर्मा)

नया नाम
(वैभवी शर्मा)
पता— 101 ए, सेठी नगर,
उज्जैन, (म.प्र.).

(G-698)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम पूनम चंद परमार (Punam Chand Parmar) था, जिसे अब परिवर्तित कर पूनमचंद (Punamchand) कर लिया गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना—पहचाना व बोला जावे.

पुराना नाम
(पूनम चंद परमार)
(Punam Chand Parmar)

नया नाम
(पूनमचंद)
(Punamchand)
पता—ग्राम पोस्ट लोहारी, तह. कुक्षी
जिला धार, (म.प्र.).

(G-699)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री नंदिनी मकवाना पुत्री श्री घनश्याम मकवाना, निवासी—889, जनता क्वाटर, सरकारी स्कूल के सामने, कोटरा, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम नंदिनी मकवाना है मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नंदिता मकवाना लिखा गया आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक दस्तावेज एवं जन्म प्रमाण—पत्र आदि में नंदिनी मकवाना लिखा हुआ है मेरी पुत्री को नंदिनी मकवाना के नाम से ही जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(घनश्याम मकवाना).

(G-700)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बाबूलाल मेवाड़ा (Babulal Mewada) पिता श्री धनसिंह मेवाड़ा (Dhansingh Mewada) निवासी—म.नं. 22, पोस्ट चाकरोद तह. कालापपीपल, जिला शाजापुर, महुआखेडी, शाजापुर (म.प्र.) राम नारायण मेवाड़ा (Ram Narayan Mewada) एवं बाबूलाल मेवाड़ा (Babulal Mewada) दोनों नाम मेरे ही हैं। अब मैंने अपना नाम बदलकर बाबूलाल मेवाड़ा (Babulal Mewada) रख लिया है, प्रकाशन उपरांत मुझे बाबूलाल मेवाड़ा (Babulal Mewada) पिता श्री धनसिंह मेवाड़ा (Dhansingh Mewada) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(राम नारायण मेवाड़ा)
(Ram Narayan Mewada)

नया नाम
(बाबूलाल मेवाड़ा)
(Babulal Mewada).
पिता— श्री धनसिंह मेवाड़ा
(Dhansingh Mewada).

(G-701)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुदर्शन एस. मन्नूर (Sudarshan S. Mannur) आत्मज श्री शरणाबसप्पा मन्नूर हूँ मेरी पुत्री विहारिका सुदर्शन मन्नूर (Viharika Sudarshan Mannur) है, उसके आधार कार्ड में उसका नाम गौरी मन्नूर (Gouri Mannur) पुत्री सुदर्शन मन्नूर (Sudarshan Mannur) अंकित है, किंतु मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम विहारिका सुदर्शन मन्नूर (Viharika Sudarshan Mannur) पुत्री श्री सुदर्शन एस. मन्नूर (Sudarshan S. Mannur) है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को विहारिका सुदर्शन मन्नूर (Viharika Sudarshan Mannur) पुत्री श्री सुदर्शन एस. मन्नूर (Sudarshan S. Mannur) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थी
(सुदर्शन एस. मन्नूर)
(Sudarshan S. Mannur)
आत्मज— श्री शरणाबसप्पा मन्नूर
पता— म.नं. 8, प्रतीक गार्डन नियर
राजा भोज आर्कड, बागसेवनिया,
बाग मुगालिया, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-702)

उपनाम परिवर्तन

मैं, शिवांगी बदलानी (SHIVANGI BADLANI) पत्नी श्री राजकुमार बदलानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम शिवांगी किरार (SHIVANGI KIRAR) था जो मेरे वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, शिवांगी बदलानी पत्नी श्री राजकुमार बदलानी के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रपत्रों लिखा गया है। प्रकाशन उपरांत मुझे शिवांगी बदलानी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(शिवांगी किरार)

नया नाम
(शिवांगी बदलानी)
पत्नी—श्री राजकुमार बदलानी
पता— हैदरगंज, शीतला माता
मंदिर के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-703)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, JAIVIR SINGH TOMAR, पुत्र परीक्षित सिंह तोमर निवासी-न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मकान न. 406 यूनियन एच.आई.जी. मुरैना (म.प्र.) है. मेरी आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम हीरा देवी अंकित हो गया है जबकि मेरी पत्नी का सही नाम अंजना तोमर (ANJANA TOMAR) है, जो उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में है. अतः मेरी पत्नी को अंजना तोमर के नाम से जाना पहचाना जाता है. यही उसका सही नाम है, जिसे मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(हीरा देवी)

नया नाम
(अंजना तोमर)
(ANJANA TOMAR)
पत्नी- JAIVIR SINGH TOMAR
निवासी-ग्राम व पोस्ट धरा, तहसील अम्बाह
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-704)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम RAHUL MAHAJAN से बदलकर नया नाम SIDDHARTH MAHAJAN रख लिया है मुझे सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यों एवं दस्तावेजों में नए नाम SIDDHARTH MAHAJAN नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(RAHUL MAHAJAN)

नया नाम
(SIDDHARTH MAHAJAN)
S/o Late Sh. Krishan Kumar Mahajan
पता-164 मयूर नगर थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-705)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम SAJJO BAI W/o ARIF KHAN है यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिवार समग्र आई डी आदि समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र SAZID RAZVI S/o ARIF KHAN के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा घरू नाम SADIYA दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. SADIYA एवं SAJJO BAI मुझ एक ही महिला के नाम हैं. इस नाम परिवर्तन सूचना के उपरांत मेरे पुत्र SAZID RAZVI के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम SADIYA के स्थान पर SAJJO BAI पढ़ा, लिखा, समझा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(SADIYA)
W/o ARIF KHAN

नया नाम
(SAJJO BAI)
W/o ARIF KHAN
Add.-R/o Shankarpur,
Gwalior (M.P.).

(G-706)

नाम परिवर्तन

मैं, आस्कृत मगोदिया (ASKRAT MAGODIYA) पुत्र श्री रामप्रकाश, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मयंक कुमार जाटव (MAYANK KUMAR JATAV) था जो मेरे पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, आस्कृत मगोदिया पुत्र श्री रामप्रकाश के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे शासकीय/अशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों में लिखा गया है। आस्कृत मगोदिया एवं मयंक कुमार जाटव दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम आस्कृत मगोदिया लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(मयंक कुमार जाटव)

नया नाम
(आस्कृत मगोदिया)
पुत्र—श्री रामप्रकाश
पता— ए-34, श्रुतिविहार कॉलोनी,
न्यू सुरेश नगर थाटीपुर,
गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-707)

नाम परिवर्तन

मैं, राज बहादुर (RAJ BHADUR) पुत्र श्री मोहन बहादुर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राजकुमार सिंह (RAJKUMAR SINGH) था जो मेरे पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, राज बहादुर पुत्र श्री मोहन बहादुर के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। राजकुमार सिंह एवं राज बहादुर दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राज बहादुर लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(राजकुमार सिंह)

नया नाम
(राज बहादुर)
पुत्र—श्री मोहन बहादुर
पता— असिस्टेंट लाइन,
बिरला नगर हाउस नं. 68,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-708)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्रा शर्मा (MAHENDRA SHARMA) पत्नी श्री सुधीर शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मनीषा सारस्वत (MANISHA SARASWAT) था जो मेरे वोटर कार्ड, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, महेन्द्रा शर्मा पत्नी श्री सुधीर शर्मा के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। महेन्द्रा शर्मा एवं मनीषा सारस्वत दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे महेन्द्रा शर्मा लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(मनीषा सारस्वत)

नया नाम
(महेन्द्रा शर्मा)
पत्नी— श्री सुधीर शर्मा
पता— मरघट रोड़ के पास,
लक्ष्मीगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-709)

नाम परिवर्तन

मैं, शेखू श्याम राजा (SHEKHOO SHYAM RAJA) पुत्र श्री श्याम राजा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम शेखू राजा (SHEKHOO RAJA) था जो मेरे वोटर कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, शेखू श्याम राजा पुत्र श्री श्याम राजा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों लिखा गया है. शेखू श्याम राजा एवं शेखू राजा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम शेखू श्याम राजा लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शेखू राजा)

नया नाम
(शेखू श्याम राजा)
पुत्र – श्री श्याम राजा
पता- डी 6, चेतकपुरी, गिर्द,
पो. लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-710)

Public Notice

Notice is hereby given that the firms "M/s RAMA VALLEY INFRATECH" of R OM GROUP, NEAR HDFC BANK DAL BAZAR TIRAHA, LASHKAR GWALIOR (M.P.) Vide Registration No. 02/42/01/0296/25, dated 17-1-2025 has undergone reconstitution in the partnership, whereby partner Mr. Akhand Pratap Singh Parihar S/o Shri Brij Naresh Singh Parihar is joining the firm from 21-1-2025 as a partner and on the same date partner Mr. Lokendra Singh Rajput S/o Shri Patiram Rajput is retiring from the Firm.

M/S. RAMA VALLEY INFRATECH
(ANURAG GARG)
Partner.

(G-711)

आम सूचना

मेहरा इंडियन ऑयल 01, थेनी, तहसील बनखेड़ी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश 461919, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स "मेहरा इंडियल ऑयल" 01, थेनी, तहसील बनखेड़ी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश साझेदारी फर्म में संशोधन फलस्वरूप गायत्री मेहरा दिनांक 6-12-2024 को फर्म से अलग हो गई हैं भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन या अन्य कार्यों में फर्म से इनका कोई लेन देन नहीं रहेगा उपरोक्त संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है. साथ ही दो पार्टनर अनिल कोरी एवं वैभव माहेश्वरी को दिनांक 6-12-2024 को फर्म में सम्मिलित किया गया है. तथा यह संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है.

मेसर्स मेहरा इंडियन ऑयल
(लीलाधर मेहरा)
(अनिल कोरी)
(वैभव माहेश्वरी)
पार्टनर.

(G-712)

Public Notice

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersigned and Shri Shiv Singh Sisodia, *vide* deed of partnership dated 10th March 2015 for carrying on business of Construction of Residential and Commercial Building etc. in the firm name and style as M/s Alka Developers at Bhopal has been changed. The detail of change is as under:-

- (1) Dated: 01.09.2021, Shri Shourya Singh Sisodia has joined as new partner. and Shri Vijay Singh Bazetha has retired from the partnership firm.
- (2) Dated: 01.01.2024, Miss Navni Sisodia has joined as new partner and Shri Vikram Singh Sisodia has retired from the partnership firm.

M/S. ALKA DEVELOPERS
(SHIV SINGH SISODIA)

Partner.

1st Floor Shikhar Tower,

6 No. Stop Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.).

(G-713)

Change of Name

It is to be informed to the general public that my daughter, Seraa Sharad Nair, D/o Sharad Chandra Nair, presently resident of 1, Alok Nagar, Kanadia Road, Indore, (M.P.) 452016, earlier known by the name of Serra Nair, D/o Sharad Nair, has changed to Seraa Sharad Nair, D/o Sharad Chandra Nair for all purposes. Henceforth, she shall be known as Seraa Sharad Nair, D/o Sharad Chandra Nair only.

Old Name

(SERRA NAIR)

D/o Sharad Nair

New Name

(SERRA SHARAD NAIR)

D/o Sharad Chandra Nair.

(G-714)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स समृद्धि कॉटन कारपोरेशन 03-31-05-0286-21 व पंजीयन दिनांक 2-12-2021 तथा पता-शिव कॉलोनी, निवाली रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 16-9-2021 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1. श्री प्रमोद कुमार मित्तल पिता श्री सुभाष चंद मित्तल, 2. श्रीमती पूजा मित्तल पति श्री प्रमोद कुमार मित्तल थे. दिनांक 1-1-2025 को फर्म में एक नई भागीदार श्रीमती सिम्मी मित्तल पति प्रखर मित्तल फर्म में शामिल हो गयीं है तथा फर्म के एक भागीदार श्रीमती पूजा मित्तल पति श्री प्रमोद कुमार मित्तल फर्म से रिटायर हो गयीं हैं. अतः वर्तमान में फर्म में कुल 2 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं:- 1. श्री प्रमोद कुमार मित्तल पिता श्री सुभाष चंद मित्तल 2. श्रीमती सिम्मी मित्तल पति प्रखर मित्तल हैं साथ ही फर्म का पता बदलकर नया पता सर्वे नंबर 63/2/1, वर्ला रोड, बिहाइंड मनजीत कॉटन, सेंधवा, जिला बड़वानी हो गया है.

फर्म-मेसर्स समृद्धि कॉटन कारपोरेशन

(प्रमोद कुमार मित्तल)

भागीदार.

पता- 28 अग्रवाल कॉलोनी,

वार्ड 8 सेंधवा, बड़वानी.

(G-715)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कविता देशमुख पुत्री शैलेन्द्र देशमुख मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह होने के बाद मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती कविता पवार पति कमल कुमार पवार हो गया है, अब मुझे मेरे नये नाम श्रीमती कविता पवार पति कमल कुमार पवार के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. निवासी, बैतुल, बाजार मालवीय वार्ड बैतुल म.प्र. हाल मुकाम नवीन नगर, शाजापुर, मध्यप्रदेश.

पुराना नाम

(कविता देशमुख)

(KAVITA DESHMUKHA)

(G-716)

नया नाम

(कविता पवार)

(KAVITA PAWAR)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व का नाम आकांक्षा देशमुख पुत्री श्री अजय देशमुख था. मेरा विवाह श्री अंकित गुप्ते से होने के उपरांत मेरा नाम आकांक्षा गुप्ते (AKANKSHA GUPTTE) हो गया है अतः प्रकाशन उपरांत मुझे नये नाम आकांक्षा गुप्ते (AKANKSHA GUPTTE) के नाम से सभी शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(आकांक्षा देशमुख)

(G-717)

नया नाम

(आकांक्षा गुप्ते)

(AKANKSHA GUPTTE)

पति- श्री अंकित गुप्ते

निवासी-डी.के. 05, 33 सी, दानिश कुंज
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, राजस्व शासकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों में मेरा नाम मनवर सिंह (MANWAR SINGH) दर्ज है, अतः उपनाम जोड़ने के उपरांत मैं, अब मनवर सिंह चौहान (MANWAR SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम मनवर सिंह चौहान (MANWAR SINGH CHOUHAN) पढ़ा, समझा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मनवर सिंह)

(MANWAR SINGH)

(G-718)

नया नाम

(मनवर सिंह चौहान)

(MANWAR SINGH CHOUHAN)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत शर्मा पुत्र श्री जे.एस.शर्मा निवास-मकान नं. 11, कोलार रोड दानिश कुंज, बंजारी कलां, तहसील, हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अंश शर्मा पुत्र प्रशांत शर्मा दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम ओजस्व शर्मा पुत्र प्रशांत शर्मा है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम ओजस्व शर्मा पुत्र प्रशांत शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

भवदीय

(प्रशांत शर्मा)

(G-719)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम अक्षता चोकडे (AKSHTA CHOKDAY) पिता श्री अशोक चोकडे था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, श्री शुभम बर्वे से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अक्षता बर्वे (AKSHATA BARVE) पति श्री शुभम बर्वे हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अक्षता बर्वे (AKSHATA BARVE) पति श्री शुभम बर्वे के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(अक्षता चोकडे)
(AKSHTA CHOKDAY)

नया नाम
(अक्षता बर्वे)
(AKSHATA BARVE)
पति- श्री शुभम बर्वे
पता-वार्ड न. 01, बाहेती कॉलोनी,
सनावद, खरगोन (म.प्र.).

(G-720)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम हरिशंकर तिवारी (HARISHANKAR TIWARI) पिता श्री श्याम प्रसाद तिवारी था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर हरीश तिवारी (HARISH TIWARI) पिता श्री श्याम प्रसाद तिवारी कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर हरिशंकर तिवारी के स्थान पर हरीश तिवारी (HARISH TIWARI) पिता श्री श्याम प्रसाद तिवारी लिखा, पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(हरिशंकर तिवारी)
(HARISHANKAR TIWARI)

नया नाम
(हरीश तिवारी)
(HARISH TIWARI)
पिता- श्री श्याम प्रसाद तिवारी
पता-3, ग्राम बालोदा, राजोदा,
तहसील सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-721)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम अंजली वानखेडे (ANJALI VANKHEDE) पिता श्री जगदीश वानखेडे था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री पंकज डालके से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अंजली डालके (ANJALI DALKE) पति श्री पंकज डालके हो गया है, जो मेरे वोटर कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अंजली डालके (ANJALI DALKE) पति श्री पंकज डालके के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(अंजली वानखेडे)
(ANJALI VANKHEDE)

नया नाम
(अंजली डालके)
(ANJALI DALKE)
पति- श्री पंकज डालके
पता-ग्राम धेगदा, तहसील धरमपुरी,
जिला धार (म.प्र.).

(G-722)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड में निर्मला तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में निर्मला यादव एवं अन्य दस्तावेज में कुन्ने लिखा है जो कि एक ही व्यक्ति के नाम है भविष्य में मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व प्राइवेट दस्तावेजों में निर्मला (NIRMALA) के नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम
(कुन्ने)

नया नाम
(निर्मला)
(NIRMALA).

(G-723)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड में बेलाकली दर्ज है व अन्य दस्तावेज वोटर आईडी, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र व समग्र परिवार कार्ड में मेरा नाम बेला कली तिवारी (BELA KALI TIWARI) दर्ज है. जो कि एक ही व्यक्ति के नाम है भविष्य में मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय प्राइवेट दस्तावेजों में बेला कली तिवारी (BELA KALI TIWARI) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(बेला कली)

नया नाम
(बेला कली तिवारी).

(G-724)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड में आभा कुमारी पत्नी राजेन्द्र सिन्हा दर्ज है व अन्य दस्तावेज बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पेन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण-पत्र में मेरा नाम कल्पना सिन्हा (KALPANA SINHA) दर्ज है. जो कि एक ही व्यक्ति के नाम है भविष्य में मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व प्राइवेट दस्तावेजों में कल्पना सिन्हा (KALPANA SINHA) पत्नी राजेन्द्र सिन्हा के नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम
(आभा कुमारी)

नया नाम
(कल्पना सिन्हा).

(G-725)

नाम परिवर्तन

मैं, मैलापल्ली कुमार पिता एम. रामाराव, निवासी-818, सर्वोदय नगर, कस्तूरबा गांधी वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में एम. कुमार बरौआ अंकित है वह भी मेरा ही नाम है मुझे एम. कुमार बरौआ एवं मैलापल्ली कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाता है अथात् दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मैलापल्ली कुमार के नाम से पढ़ा, लिखा एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(एम. कुमार बरौआ)

नया नाम
(मैलापल्ली कुमार).

(G-726)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मिड टाउन बिल्डर्स, 26/12 वेद नगर, उज्जैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 07-33-01-0035-17 दिनांक 22 जून 2017 हैं जिसमें निम्न भागीदार थे.

1. रोनक सोगानी पिता श्री अभय सोगानी
2. सचिन वाडेकर पिता श्री विश्वास वाडेकर
3. राजेश शर्मा पिता श्री सूर्यनारायण शर्मा

दिनांक 23-1-2025 को समस्त भागीदारों ने आपस में तय किया कि सचिन वाडेकर पिता श्री विश्वास वाडेकर अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक हो रहे हैं.

दिनांक 23-1-2025 से फर्म में निम्न भागीदार हैं :-

1. रोनक सोगानी पिता श्री अभय सोगानी
2. राजेश शर्मा पिता, श्री सूर्यनारायण शर्मा

फर्म- मेसर्स मिड टाउन बिल्डर्स,
(राजेश शर्मा)
भागीदार.

(G-727)

आम सूचना

M/S SHRI SIDDHIDATA DEVELOPERS 01, SHREE HOME BABUPURA PATHARIYA JATT, सागर, सागर 470001 पंजियत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी सागर म.प्र. द्वारा पं.क्र. 06-09-01-0074-23 दिनांक 23-10-2023 को किया गया था. जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे. 1- Shri Gagan Jaiswal 2- Smt Varsha Jaiswal 3- Shri Monu Yadav 4- Shri Sujeet Singh Thakur 5- Shri Sudeep Kumar Khateek 6- Shri Amit Kumar Richariya 7- Shri Gorelal Yadav 8- Shri Vikas Pandey जिसमें दिनांक 27-1-2025 को भागीदार Shri Vikas Pandey अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथम हो गये हैं, एवं दिनांक 27-1-2025 को Shri Shashank Sharma फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं जिसके अनुसार दिनांक 27-1-2025 से निम्नांकित भागीदारी रहेंगे. 1- Shri Gagan Jaiswal 2- Smt Varsha Jaiswal 3- Shri Monu Yadav 4- Shri Sujeet Singh Thakur 5- Shri Sudeep Kumar Khateek 6- Shri Amit Kumar Richariya 7- Shri Gorelal Yadav 8- Shri Shashank Sharma. उपरोक्त विवरण जन साधारण के संज्ञान में लाने बावत् इशतहार जारी किया जा रहा.

M/S SHRI SIDDHIDATA DEVELOPERS
(GAGAN JAISWAL)

Partner.

(G-728)

आम सूचना

मैसर्स तिरुपति फिलिंग स्टेशन (MS TIRUPATI FILLING STATION) वार्ड नं 6, रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) पंजीयन क्र. 02-43-05-0091-24 दिनांक 20-6-2024 को, भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया गया था. आज दिनांक 11-1-2025 को समस्त भागीदार, क्रमांक- 1. श्री साहिद अली पुत्र श्री मुन्नन अली, 2. नीलम सत्यप्रकाश त्यागी पुत्री श्री सत्यप्रकाश ओमप्रकाश त्यागी एवं 3. भावना त्यागी पुत्री श्री ललित कुमार त्यागी स्वेच्छा से फर्म को बन्द कर रहे हैं. अतः आज दिनांक 11-1-2025 से फर्म में कोई कार्य नहीं किया जायेगा और न ही कोई व्यवहार किया जायेगा.

M/S TIRUPATI FILLING STATION
(शाहिद अली)

भागीदार.

(G-729)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय सेवा अभिलेख में मेरा नाम मनोहर लाल लिलमैया दर्ज है एवं अन्य शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मनोहर लिलमैया दर्ज है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं प्रकाशन उपरांत मुझे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मनोहर लिलमैया के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मनोहर लाल लिलमैया)
(MANOHAR LAL LILMAIYA)

नया नाम

(मनोहर लिलमैया)
(MANOHAR LILMAIYA)
पुत्र- स्व. श्री बी.डी. लिलमैया
पता- एफ 120/6 शिवाजी नगर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-730)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम कहीं पर मो इकबाल और कुछ में इकबाल मो लिखा हुआ है. जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड में इकबाल मोहम्मद खाँ (IQBAL MOHAMMAD KHAN) नाम दर्ज है जो कि सही है, प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम इकबाल मोहम्मद खाँ (IQBAL MOHAMMAD KHAN) से जाना-पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मो इकबाल, इकबाल मो)

नया नाम

(इकबाल मोहम्मद खाँ)
(IQBAL MOHAMMAD KHAN)
पता- म. नं. 17/2, चटार्डपुरा, गली नं. 2,
बुधवारा, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-731)

उपनाम परिवर्तन

मैं, विशाल वंशकार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश विशाल सिंह, अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम विशाल वंशकार है. अतः भविष्य में मुझे श्री विशाल वंशकार के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम

(विशाल सिंह)

नया नाम

(विशाल वंशकार)
वर्तमान निवास स्थान- म. नं. 297,
वल्लभनगर क्र-1,वार्ड नं-33,
सतपुड़ा भवन रोड,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-732)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 31 जनवरी 2025

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत आवेदक "श्री दिगम्बर जैन मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट तर्फे गौरव जैन व अन्य निवासी नरीमन सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा इंदौर मध्यप्रदेश द्वारा "श्री दिगम्बर जैन मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं:-

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

"परिशिष्ट"

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | - "श्री दिगम्बर जैन मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट" |
| 2. कार्यालय का पता | - नरीमन सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा इन्दौर (म.प्र.) |
| 3. चल संपत्ति | - 5000/- (अक्षरी रूपये पाँच हजार रूपये मात्र) |
| 4. अचल संपत्ति | - सर्वे नम्बर 22/370/1/1 पेकी रकबा 0.016 हेक्टेयर (1800 स्केयर फीस) नरीमन सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा तह. जिला इन्दौर |

आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-733)

निधि वर्मा, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर, क्षेत्र जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 14 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 8453-रीडर-1-25.- आवेदक वाग्देवी विचार मंच न्यास पता-49, पंत वैद्य कालोनी, स्वदेश प्रेस के पीछे, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

वाग्देवी विचार मंच न्यास पता-49, पंत वैद्य कालोनी, स्वदेश प्रेस के पीछे, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 6,000

आज दिनांक 14 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया.

(G-734)

प्रदीप सोनी, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट परगना व जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 31 जनवरी 2025

(फार्म 4)

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.-0003-2024-25-बी-113.- जैसा कि विधावती शर्मा पत्नी स्व. श्री एस.बी. शर्मा, निवासी गांधी नगर हैवतुपरा रोड भिण्ड, तहसील भिण्ड द्वारा पब्लिक ट्रस्ट डॉ. श्याम विहारी शर्मा सेवा परिषद् ट्रस्ट, भिण्ड तहसील भिण्ड का गठन किए जाने हेतु आवेदन मय सहपत्रों के पेश किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | - डॉ. श्याम विहारी शर्मा सेवा परिषद् ट्रस्ट, भिण्ड |
| 2. लोक न्यास का पता | - निवासी गांधी नगर हैवतुपरा रोड भिण्ड |

(G-735)

अखिलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 31 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू-2.- कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	न्यू ज्योति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	255/5-9-2013	225/23-1-2025
2.	परदेशीपुरा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1704/9-5-1995	226/23-1-2025
3.	श्री गुजराती जैन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	190/5-9-2013	2153/31-3-2023
4.	श्री आहिल्या आर्दश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	208/5-9-2013	2152/31-3-2023
5.	श्री मिनाक्षी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	216/5-9-2013	2151/31-3-2023
6.	संजीवनी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	219/22-11-1997	2181/31-3-2023
7.	श्री मंगलमूर्ती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	290/5-9-2013	2184/31-3-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री गुरुटेकचंद साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2664 / 7-3-2014	2182 / 31-3-2023
9.	श्री सतनाम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2682 / 7-3-2014	2180 / 31-3-2023
10.	सुर्याकिरण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	241 / 5-9-2013	2183 / 31-3-2023
11.	श्री लक्ष्मीनारायण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	253 / 5-9-2013	2185 / 31-3-2023
12.	सहार सिटी होम्स साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2654 / 7-3-2014	2179 / 31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एदत्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-736)

राजेश्वरी चौहान, परिसमापक एवं सब-ऑडिटर.

इन्दौर, दिनांक 31 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू-2.- कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय भवानी गोडिया कघर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर	538 / 24-7-1979	210 / 23-1-2025
2.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	807 / 20-5-1985	211 / 23-1-2025
3.	मातुश्री अहिल्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	330 / 30-3-1982	212 / 23-1-2025
4.	ईश्वारीय यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	19 / 15-4-1960	202 / 23-1-2025
5.	जवाहर यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	8 / 19-11-1950	203 / 23-1-2025
6.	श्रेष्ठ यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	544 / 29-7-1991	204 / 23-1-2025
7.	संघ्या यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	543 / 18-7-1991	205 / 23-1-2025
8.	रोड लाईन्स ट्रांसपोर्ट को- ऑपरेटिव सोसायटी लि. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	541 / 26-5-1991	206 / 23-1-2025
9.	स्वास्तिक प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	638 / 25-3-1981	207 / 23-1-2025
10.	शासकीय कर्मचारी केन्टीन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., इन्दौर	48 / 28-5-1952	208 / 23-1-2025
11.	ज्योति महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्त भंडार मर्या., इन्दौर	1480 / 6-9-1994	209 / 23-1-2025

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एदतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-737)

दिपीका केमा, परिसमापक एवं सब-ऑडिटर.

इन्दौर, दिनांक 14 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन.-2024.- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर के संशोधित आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घटीयाखेड़ी, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/1165 दिनांक 30-3-1993	क्र./निर्वा./2024/2122, दिनांक 14-6-2024
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौतमपुरा, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/686 दिनांक 24-10-1982	क्र./निर्वा./2024/2121, दिनांक 14-6-2024
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धन्नड़, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/694 दिनांक 14-10-1987	क्र./निर्वा./2024/2120, दिनांक 14-6-2024
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्दा, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/849 दिनांक 26-6-1987	क्र./निर्वा./2024/2119, दिनांक 14-6-2024
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटाबिल्लौद, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/734 दिनांक 18-8-1983	क्र./निर्वा./2024/2118, दिनांक 14-6-2024
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछालिया, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/674 दिनांक 14-10-1982	क्र./निर्वा./2024/2117, दिनांक 14-6-2024
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कदवालीखुर्द, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/671 दिनांक 24-10-1982	क्र./निर्वा./2024/2116, दिनांक 14-6-2024
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हासलपुर, इन्दौर	डी.आर./आयडीआर/595 दिनांक 24-10-1987	क्र./निर्वा./2024/2115, दिनांक 14-6-2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-738)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन.-2024.- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अमेयविक्रमा सहकारी साख संस्था, इन्दौर	183/5-9-2013	2142/31-3-2023
2.	संभव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	154/5-9-2013	2195/31-3-2023
3.	श्री नानाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	140/5-9-2013	2150/31-3-2023
4.	सिमरन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	185/5-9-2013	2149/31-3-2023
5.	शुभ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	79/5-9-2013	2148/31-3-2023
6.	श्री जिहेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	82/5-9-2013	2147/31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-739)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन.-2024.- कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरोवर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	96/5-9-2013	2146/31-3-2023
2.	साई शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	62/5-9-2013	2145/31-3-2023
3.	स्वमेव मृंगदेवा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	112/5-9-2013	2144/31-3-2023
4.	सहयोग इंडिया साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	143/5-9-2013	2143/31-3-2023
5.	युवा नेहरू जाटव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1766/	952/1-5-2019
6.	इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1849/	952/1-5-2019
7.	मालवा विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1881/	952/1-5-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एदतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-740)

ज्योति जोशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपराड़

पंजीयन क्रमांक/1508 दिनांक 20 अप्रैल 2007 पता:- पोस्ट- पिपराड़ तह.-खरगोन जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक.-2024-1932.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी./ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र जारी करता हू, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-741)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित मण्डलेश्वर

पंजीयन क्रमांक/1686 दिनांक 7 सितम्बर 2013 पता:- पोस्ट- मण्डलेश्वर तह.-महेश्वर जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1933.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथाकथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-742)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

अम्बेडकर शहरी सेवा क्रेडिट मर्यादित, खरगोन

पंजीयन क्रमांक/2124, दिनांक 18 जुलाई 2016, पता:- पोस्ट एवं तह. खरगोन, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1934.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों. ii प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथाकथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-743)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडगांव गोगावां,

पंजीयन क्रमांक/2210, दिनांक 8 जनवरी 2018, पता:- पोस्ट बडगांव, तह. गोगावां, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1935.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-744)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टेमरनी,

पंजीयन क्रमांक/1288, दिनांक 6 जून 2001, पता:- पोस्ट टेमरनी, तह. कसरावद, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1936.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे—i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो। ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-745)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

कृषक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महेश्वर,

पंजीयन क्रमांक/1690, दिनांक 17 अगस्त 2013, पता:- पोस्ट एवं तह. महेश्वर, जिला खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1937.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे—i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो। ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र जारी करता हू. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-746)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भानबरड़,

पंजीयन क्रमांक/2097, दिनांक 14 मार्च 2016, पता:- पोस्ट भानबरड़, तह. सनावद, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1938.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के हा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र जारी करता हू. कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-747)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पथोरा

पंजीयन क्रमांक/2059 दिनांक 27 नवम्बर 2015 पता:- पोस्ट पथोरा, तह. कसरावद, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1939.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-748)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रायबिड़पुरा,

पंजीयन क्रमांक/639, दिनांक 21 दिसम्बर 1983, पता:- पोस्ट रायबिड़पुरा, तह. सेगांव, जिला-खरगोन

(कारण बताओं सूचना पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1940.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी./ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के हा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा-कथित आरोप स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-749)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नारायणपुरा

पंजीयन क्रमांक/1632, दिनांक 1 मार्च 2012 पता:- पोस्ट नारायणपुरा, तह. खरगोन, जिला खरगोन

(कारण बताओं सूचना पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1941.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा-कथित आरोप स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-750)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

ओमसाई राम साख सहकारी संस्था मर्यादित खरगोन

पंजीयन क्रमांक/1889 दिनांक 10 मार्च 2014 पता:- पोस्ट व तह. खरगोन, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1942.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे- i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-751)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

श्री दादाजी प्राथ. उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,

पंजीयन क्रमांक/1665, दिनांक 11 नवम्बर 2012, पता:- पोस्ट एवं तह. खरगोन, जिला-खरगोन

(कारण बताओं सूचना पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1943.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-752)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

जय हिन्दू मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन,

पंजीयन क्रमांक/1517, दिनांक 25 मई 2007, पता:- पोस्ट एवं तह. खरगोन, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1944.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था—सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे—i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो। ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-753)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खामखेड़ा

पंजीयन क्रमांक/2288 दिनांक 18 फरवरी 2019 पता:- पोस्ट खामखेड़ा, तह. कसरावद, जिला-खरगोन

(कारण बताओं सूचना पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1945.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था—सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे—i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो। ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-754)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोहद,

पंजीयन क्रमांक/1428, दिनांक 26 नवम्बर 2005, पता:- पोस्ट मोहद, तह. महेश्वर, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-1946.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii. प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-755)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

उन्नत निमाड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खरगोन

पंजीयन क्रमांक/1908 दिनांक 10 मार्च 2014 पता:- पोस्ट व तह. खरगोन, जिला-खरगोन

(कारण बताओं सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-1947.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे- i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-756)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

श्री बालाजी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन

पंजीयन क्रमांक/2303, दिनांक 26 जून 2019, पता:- पोस्ट व तह. खरगोन, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-1948.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-757)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बामखल

पंजीयन क्रमांक/2050 दिनांक 27 नवम्बर 2015 पता:- पोस्ट बामखल तह. कसरावद, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-1949.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी./ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-758)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

श्री मेलडेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन

पंजीयन क्रमांक-95, दिनांक 3 जनवरी 2006, संपरिवर्ति प.क्र. 1797 दिनांक 10 मार्च 2014.

पता:- पोस्ट एवं तह. खरगोन,

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2024-1950.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी./ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा-कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-759)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

जय भवानी साख सहकारी संस्था मर्यादित, करही

पंजीयन क्रमांक/1988, दिनांक 28 जुलाई 2014, पता:- पोस्ट-करही व तह. महेश्वर, जिला-खरगोन

(कारण बताओं सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1951.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-760)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव श्री शोलेष कुमार जैन

विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद

पंजीयन क्रमांक/902 दिनांक 16 अप्रैल 1992 पता:- 29, सौलकी कॉलोनी पोस्ट व तह. सनावद

पिन न. 451000 जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1952.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-761)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

श्री महालक्ष्मी क्रेडिट कॉप. संस्था मर्यादित, महेश्वर

पंजीयन क्रमांक/2067 दिनांक 19 जनवरी 2016 पता:- पोस्ट व तह. महेश्वर, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1953.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे—i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक से इक्कीस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-762)

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/सचिव

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांमदी

पंजीयन क्रमांक/2045 दिनांक 27 नवम्बर 2015 पता:- तह. व पोस्ट कसरावद, जिला-खरगोन

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-1954.- यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रश्नाधीन संस्था के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्नांकित कारणों से धारा 69(1), (2) एवं उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था -सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना शामिल है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. जैसे-i पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो. ii प्रथमदृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त परिपेक्ष्य में मैं, अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी,/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 व अद्यतन संशोधित प्रावधान के हा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(G-763)

अम्बरीष वैद्य, उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र.-परि.-2025.- इस कार्यालय का आदेश क्र-परिसमापन-2023-558 सीहोर दिनांक 9 मई 2023 के द्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित सीहोर, तहसील व जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रं. 1845 दिनांक 29 अगस्त 2016 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्राथमिक भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित सीहोर, तहसील व जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1845 दिनांक 29 अगस्त 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से प्राथमिक भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित सीहोर, तहसील व जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1845 दिनांक 29 अगस्त 2016 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-764)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कन्नौद, जिला देवास, मध्यप्रदेश

कन्नौद, दिनांक 4 फरवरी 2025

क्र.-619-प्रवा.1-2025.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कस्बा कन्नौद को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सतगुरु साईबाबा मंदिर ट्रस्ट कन्नौद जिला देवास के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर मानधन्या निवासी कन्नौद द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर धार्मिक उत्थान एवं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं मानव समाज व प्राणी मात्र की सेवा के लिये मध्यप्रदेश अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत श्री सतगुरु साईबाबा मंदिर ट्रस्ट कन्नौद का पंजीकरण किये जाने की मांग की गयी है.

इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति नियत पेशी दिनांक 19 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकता है. वादम्याद प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गयी.

(G-765)

क्र.-616-प्रवा.1-2025.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कस्बा कन्नौद को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ओमप्रकाश पिता नंदलाल होलानी जाति महाजन निवासी-ग्राम कांटाफोड तहसील सतवास द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर धार्मिक उत्थान एवं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं मानव समाज की सेवा के लिये मध्यप्रदेश अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत श्री सेठ गोकुलदास मोतीलाल होलानी चेरिटेबल ट्रस्ट कांटाफोड का पंजीकरण किये जाने की मांग की गयी है.

इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति नियत पेशी दिनांक 19 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकता है. वादम्याद प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गयी.

(G-766)

प्रवीण प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2025-फाल्गुन 2, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)